रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/पौष 11, 1903
No. 2] NEW DELHI,FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1982

(सं० 2/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सा० का० नि 286 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 99/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 19 जून, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ([illegible]) [illegible] अनुसूची [illegible] के अन्तर्गत आने वाली ऐसी दियासलाइयों को, जिनके विनिर्माण में [illegible] विनिर्माण के संबंध में कोई भी प्रक्रिया विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए प्रथम निकासी की बाबत सामान्यतया शक्ति की सहायता के बिना नहीं की जाती है और जिनकी कुल निकासी 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन करोड़ से अधिक नहीं है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना 50 दियासलाइयों के बक्सों के प्रति गुरुस पर 1.60 रुपए से अधिक है, परन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त विनिर्माता द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान निकासी 3 करोड़ 75 लाख दियासलाइयों से अधिक नहीं होती है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगी, अर्थात :—

(i) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से पूर्वोक्त अवधि के दौरान किसी एक कलैण्डर मास में दियासलाइयों का कुल उत्पादन 1 करोड़ 50 लाख से अधिक नहीं होता है;

(ii) 1 जनवरी, 1981 से ही प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घरेलू उपभोग के लिए किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से दियासलाइयों की कुल निकासी, यदि कोई हो, 15 करोड़ से अधिक नहीं होती है:

(iii) विनिर्माता यह घोषणा करता है कि 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि में घरेलू उपभोग के लिए किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से दियासलाइयों की कुल निकासी तीन करोड़ से अधिक नहीं होने की संभावना है:

परन्तु—

(क) छूट की रकम 50 दियासलाइयों के बक्सों प्रति गुरुस पर 50 पैसे बढ़ा दी जाएगी, यदि स्प्लिटों के लिए या स्प्लिटों और वेनियरों दोनों के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है

(ख) यदि ऐसी दियासलाइयों के स्प्लिंट बांस से बनाए जाते हैं और दियासलाइयां 40 के हिसाब से बक्सों में पैक की जाती हैं तो शुल्क की दर, समरूप वर्णन की ऐसी दियासलाइयों को जो एक ही कारखाने में उत्पादित की जाती है किन्तु दियासलाइयां 50 के हिसाब से बक्सों में पैक की जाती हैं, लागू दर का 4/5 होगी और यदि दियासलाइयों की 50 के हिसाब से बक्सों में इस प्रकार पैकिंग नहीं की जाती है तो वह 50 के हिसाब से बक्सों में पैक की गई दियासलाइयों के लिए काल्पनिक रूप से अवधारित दर का 4/5 होगी :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात उन दियासलाइयों को लागू नहीं होगी, जिनमें बाहरी स्लाईड या भीतरी स्लाईड या दोनों कार्डबोर्ड से बनाई जाती हैं।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) वेनियर चपटी-पटिटयां या स्ट्रिपें को दियासलाई के कागज के प्रयोग से, दियासलाई के बक्स की, जिसके अन्तर्गत बाहरी स्लाईड या भीतरी स्लाईड भी है, आकृति देने की प्रक्रिया

(ख) फ्रेम भरने

(ग) दियासलाई की तीलों के सिरों के लिए सम्मिश्रण में स्प्लिंट को डुबोने;

(घ) दियासलाइयों को बक्से में भरने;

(ङ) दियासलाई के बक्सों या वेनियरों पर चिपका कर या किसी अन्य साधन से लेबल चिपकाने की प्रक्रिया,

(च) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क स्टाम्प चिपकाने;

(छ) पैक करने

के लिए अपनाई जाने वाली यांत्रिक प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी।

[फा० सं० 335/24/81-टी०आर०यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st January, 1982

(NO. 2/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 99/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, the Central Government hereby exempts matches, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, in respect of the first clearances for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories up to an aggregate not exceeding thirty million matches cleared during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982, and ending with the 31st day of March, 1982, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 1.60 per gross boxes of 50 matches, subject to the condition that clearances by the said manufacturer during the aforesaid period does not exceed 37.5 million matches and also subject to the following other conditions, namely :—

(i) the total production of matches in a calendar month during the aforesaid period by or on behalf of a manufacturer from one or more factories does not exceed 15 million matches;

(ii) the total clearances, if any, of matches by a manufacturer by or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1981 and ending on the 31st day of December, 1981 did not exceed 150 million matches;

(iii) the manufacturer makes a declaration that the total clearances of matches by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, is not likely to exceed 30 million matches:

Provided that—

(a) the amount of exemption shall be increased by 50 paise per gross boxes of 50 matches if bomboo is used for the splints or for both splints and veneers;

(b) if the splints of such matches are made of bamboo and the matches are packed in boxes of 40 matches, the rate of duty shall be four-fifths of the rate applicable to matches of identical description produced in the same factory but packed in boxes of 50 matches and if such packing in boxes of 50 matches is not done, it shall be four-fifths of the notionally determined rate for matches packed in boxes of 50 matches;

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to matches packed in boxes in which the outer slide or the inner slide or both are made of cardboard.

EXPLANATION:—For the purposes of this notification, no process other than the machanical process employed for—

(a) the process of giving the veneer flats or strips the configuration of a match box including the outer slide or the inner slide with the use of match paper;

(b) frame filling;

(c) dipping of splints in the composition for match heads;

(d) filling of boxes with matches;

(e) the process of affixing labels, by pasting or any other means, on match boxes or veneers;

(f) affixing of Central Excise Stamps;

(g) packaging;

Shall be deemed to be a process ordinarily carried on with the aid of power.

[F. No 335/24/81-TRU

(सं० 3/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सा० का० नि० 3(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 38 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी दियासलाइयों को, जिन के विनिर्माण में या जिनके विनिर्माण के सम्बन्ध में कोई भी प्रक्रिया खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए प्रथम निकासी की बाबत सामान्यतया शक्ति की सहायता के बिना नहीं की जाती है और जिनकी निकासी 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च,

1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन करोड़ से अधिक नहीं है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना 50 दियासलाइयों के बक्सों के प्रति ग्रुस पर 1.60 रुपए से अधिक है; परन्तु यह इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त कारखाने से पूर्वोक्त अवधि के दौरान निकासी 3 करोड़ 75 लाख दियासलाइयों से अधिक नहीं होती है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगी, अर्थात्:

(i) उक्त कारखाने द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान किसी एक कलैण्डर मास में दियासलाइयों का कुल उत्पादन 1 करोड़ 50 लाख से अधिक नहीं होता है,

(ii) 1 जनवरी, 1981 से ही प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घरेलू उपभोग के लिए उक्त कारखाने से दियासलाईयों की कुल निकासी, यदि कोई हो, 15 करोड़ से अधिक नहीं होती है;

(iii) विनिर्माता यह घोषणा करता है कि 1 जनवरी, 1982 से ही प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि में घरेलू उपभोग के लिए उक्त कारखाने से दियासलाइयों की कुल निकासी तीन करोड़ से अधिक नहीं होने की संभावना है.

परन्तु—

(क) छूट की रकम 50 दियासलाइयों के बक्सों प्रति ग्रुस पर 50 पैसे बढ़ा दी जाएगी यदि स्प्लिंटों के लिए या स्प्लिंटों और वेनियरों दोनों के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि ऐसी दियासलाइयों के स्प्लिंट बांस बनाए जाते हैं और दियासलाइयां 40 के हिसाब से बक्सों में पैक की जाती हैं तो शुल्क की दर, समरूप वर्णन की ऐसी दियासलाइयों को जो एक ही कारखानों में उत्पादित की जाती है किन्तु दियासलाइयां 50 के हिसाब से बक्सों में पैक की जाती हैं, लागू दर की 4/5 होगी और यदि दियासलाइयों की 50 के हिसाब से बक्सों में इस प्रकार पैकिंग नहीं की जाती है तो वह 50 के हिसाब से बक्सों में पैक की गई दियासलाइयों के लिए काल्पनिक रूप से अवधारित दर की 4/5 होगी.

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई भी बात उन दियासलाइयों को लागू नहीं होगी, जिनमें बाहरी स्लाइड या भीतरी स्लाइड या दोनों कार्डबोर्ड से बनाई जाती है।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) वेनियर चपटी पटि्टयों या स्ट्रिपों को दियासलाई के कागज के प्रयोग से, दियासलाई के बक्स की, जिसके अन्तर्गत बाहरी स्लाइड या भीतरी स्लाइड भी है, आकृति देने की प्रक्रिया,

(ख) फ्रेम भरने ;

(ग) दियासलाई की तीली के सिरों के लिए मिश्रण में स्प्लिंट का डुबाना

(घ) दियासलाईयों को बक्सों में भरने ;

(ङ) दियासलाई के बक्सों या वेनियरों पर चिपका कर या किसी अन्य साधन से लैबल चिपकाने की प्रक्रिया;

(च) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क स्टांप चिपकाने;

(छ) पैक करने,

के लिए अपनाई जाने वाली यांत्रिक प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की जाने वाली प्रक्रिया नहीं समझी जाएगी।

[फा० सं० 335/24/81 टी० आर० यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 3/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts matches, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in or in relation to the manufacture of which no process is ordinarily carried on with the aid of power, in respect of the first clearances for home consumption from a factory departmentally run by the Khadi and Village Industries Commission not exceeding thirty million matches cleared during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982, and ending with the 31st day of March, 1982, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 1.60 per gross boxes of 50 matches subject to the condition that clearances from the said factory the aforesaid period does not exceed 37.5 million matches and also subject to, the following other conditions, namely:—

(i) the total production of matches in a calendar month during the aforesaid period by the said factory does not exceed 15 million matches;

(ii) the total clearances, if any, of matches from the said factory for home consumption, during the period commencing on and from the 1st day of January, 1981 and ending on the 31st day of December, 1981 did not exceed 150 million matches;

(iii) the manufacturer makes a declaration that the total clearances of matches from the said factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of January, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, is not likely to exceed 30 million matches;

Provided that—

(a) the amount of exemption shall be increased by 50 paise per gross boxes of 50 matches if hambo is used for the splints or for both splints and veneers;

(b) if the splints of such matches are made of bamboo and the matches are packed in boxes of 40 matches, the rate of duty shall be four-fifths of the rate applicable to matches of identical description produced in the same factory but packed in boxes of 50 matches and if such packing in boxes of 50 matches is not done, it shall be four-fifths of the notionally determined rate for matches packed in boxes of 50 matches;

Provided further that nothing contained in this notification shall apply to matches packed in boxes in which the outer slide or the inner slide or both are made of card board

EXPLANATION:— For the purposes of this notification, no process other than the mechanical process employed for—

(a) the process of giving the veneer flats or strips the configuration of a match box including the other slide or in the inner slide with the use of match paper;

(b) frame filling;

(c) dipping of splints in the composition for match heads;

(d) filling of boxes with matches;

(e) the process of affixing labels, by pasting or any other means, on match boxes or veneers;

(f) affixing of Central Excise Stamps;

(g) packaging;

Shall be deemed to be a process ordinarily carried on with the aid of power.

[F. No. 335/24/81-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982